छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-02

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016</u>

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने डॉ.बलराम जाखड़, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री पवन दीवान, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व लोकसभा सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल, धनेन्द्र साहू, संतोष उपाध्याय, भूपेश बघेल, शिवरतन शर्मा, गुरूमुख सिंह होरा, (डॉ) विमल चोपड़ा, बद्रीधर दीवान-सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.00 बजे स्थगित होकर 12.17 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य हैं या नहीं, संबंधी व्यवस्था की मांग की।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004, (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015,

(2) श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

(3) श्री महेश गागड़ा, विधि मंत्री ने आनंद विवाह अधिनियम 1909, (क्रमांक 7 सन् 1909) की धारा 6 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 979/281/21-ब/छ.ग./16, दिनांक 29 जनवरी, 2016, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016 **पटल पर रखे।**

3. दिसम्बर, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय सभापति के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2015 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय सभापति के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय सभापति के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के मार्च, 2015 सत्र में पारित 19 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा दिसम्बर, 2015 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 6, प्रतापपुर से निर्वाचित सदस्य श्री रामसेवक पैकरा द्वारा मार्च, 2016 सत्र में दिनांक 1 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा

(3) श्री संतोष बाफना

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री धनेन्द्र साहू

7.व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसन आबंटन के संबंध में जारी पत्रक भाग 2 के परिप्रेक्ष्य में श्री अमित अजीत जोगी कांग्रेस से संबद्ध सदस्य हैं या असंबद्ध सदस्य, इस संबंध में आसंदी से व्यवस्था की मांग की गई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने विचार व्यक्त किए।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । काफी विस्तार से सदस्यों के द्वारा बातें कही गईं । चूंकि सदस्य ने स्वयं इस मामले को उठाया है, अन्य सदस्यों ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं । नेता प्रतिपक्ष जी ने भी विस्तार से अपनी बातें रखी । जहां तक सदन में आसन के निर्धारण का प्रश्न है । नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, किन्तु परम्परा यह है कि दलों के लिए निर्धारित ब्लाक में दल के नेता की सलाह से सदस्यों के आसन का निर्धारण किया जाता है । दल के नेता अपने दल के सदस्य को कहां बिठायें, दल के नेता के इस विशेषाधिकार पर यहां अब कोई चर्चा नहीं होगी। यह सम्पूर्ण प्रकरण आसंदी के विचाराधीन है। इसमें मैं यथासमय व्यवस्था दूंगा।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2016 की में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

	वित्तीय कार्य	**समय**
(i)	वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है **:-**

1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे
2.	श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री	-	03 घंटे
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
4.	श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
5.	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
6.	श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री	-	02 घंटे
7.	श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	02 घंटे
8.	श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री	-	02 घंटे
9.	श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे

10.	श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री	-	02 घंटे
11.	श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री	-	02 घंटे
12.	श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री	-	02 घंटे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2016 - 30 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2016 एवं रविवार, दिनांक 20 मार्च, 2016 को भी सभा की बैठक होगी तथा उस दिन वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी । समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 से मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 तक बैठकों के दिन भोजन अवकाश नहीं होगा तथा इस अवधि में सभा की बैठकें रात्रि 7.00 बजे तक होंगी।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

<u>10. ध्यानाकर्षण सूचना</u>

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने कंगोली स्थित सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट योजना क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. प्रीतम राम, सदस्य ने जिला-बलरामपुर अंतर्गत जिला प्रशासन एवं कोल माइन्स प्रबंधन द्वारा पट्टेधारियों के परिवार के सदस्यों के पुनर्वास की व्यवस्था न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की)

11. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 2 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

12. वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - माननीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष से चर्चा में लिए गये निर्णय एवं सदन की अनुमति की प्रत्याशा में उन्होंने आज की दैनिक कार्य सूची को पुनर्निधारित करते हुए कार्यसूची में अनुपूरक अनुमान पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार पर पारण को सम्मिलित किया गया है।

(1.48 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

13. वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 3, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 23, 25, 27, 30, 36, 39, 41, 43, 47, 56, 58, 64, 67 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर

तीन हजार एक सौ उन्यासी करोड़, चौरासी लाख, उनतीस हजार, अन्ठावन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, मोहन मरकाम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे एवं श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016 (क्रमांक-2 सन् 2016)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016 (क्रमांक-2 सन् 2016) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

15. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 02)	श्री शिवरतन शर्मा	1 घंटा
2. (क्रमांक - 03)	श्री नवीन मारकण्डेय	1 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) राजिम कुंभ के अवसर पर दिनांक 3 मार्च, 2016 को आयोजित संत समागम समारोह अब 3 मार्च, 2016 के स्थान पर 6 मार्च, 2016 को होगा।

(2) सन्त कवि श्री पवन दीवान की अंत्येष्ठी कल गुरूवार, दिनांक 3 मार्च, 2016 को राजिम में होगी।

अत: उनके सम्मान में व अंत्येष्ठी में श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु कल गुरूवार, दिनांक 3 मार्च, 2016 को सभा की बैठक नहीं होगी।

सांय 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016 (फाल्गुन-14, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा